

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

22438 - दुआ के स्वीकार्य होने के समय और स्थान

प्रश्न

प्रश्न: वे कौन कौन से स्थान, समय और स्थितियाँ हैं जिनमें दुआ स्वीकार की जाती है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान: "फ़र्ज नमाज़ों के बाद" से क्या अभिप्राय है? क्या पिता की अपनी संतान के लिए दुआ स्वीकार्य है, या पिता की अपने बच्चों पर केवल शाप (बद्-दुआ) स्वीकार की जाती है, आप से अनुरोध है कि इन सभी मुद्दों को स्पष्ट करें।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

स्वीकार होनेवाली दुआ के समय और उसके स्थान बहुत अधिक हैं, जिनमें से कुछ यहाँ वर्णित किए जा रहे हैं :

1- लैलतुल-क्रद्र (क्रद्र की रात) :

अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से उस समय फरमाया जब उन्होंने कहा: मुझे बतलाएं कि यदि मुझे किसी रात के बारे में ज्ञात हो जाए कि वह क्रद्र की रात है, तो इसमें मैं क्या पढ़ूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया तुम कहो:

(اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)

"ऐ अल्लाह! निःसंदेह तू ही क्षमा करने वाला है, और तू क्षमा को पसंद करता है, अतः मुझे क्षमा (माफ़) कर दे।"

2- रात के मध्य में दुआ करना: इससे अभिप्राय सेहरी का समय और अल्लाह तआला के उतरने का समय है, क्योंकि अल्लाह तआला अपने बन्दों पर अनुग्रह करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने और उनकी आपदाओं को दूर करने के लिए निचले आसमान पर उतरता है, और फरमाता है: "कौन है जो मुझे पुकारे तो उसकी दुआ स्वीकार करूँ? कौन है जो मुझसे माँगे तो मैं उसे प्रदान करूँ? कौन है जो मुझसे अपने पापों की माफी माँगे, तो मैं उसे माफ़ कर दूँ।" इसे बुखारी (हदीस संख्या: 1145) ने रिवायत किया है।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

3- फ़र्ज़ (अनिवार्य) नमाज़ों के बाद:

अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि "अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा गया: कौन सी दुआ सबसे अधिक स्वीकार होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (रात के अंतिम भाग में, और फ़र्ज़ नमाज़ों के आखिर में) इसे तिर्मिजी (हदीस संख्या: 3499) ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीह तिर्मिजी में इस हदीस को हसन कहा है।

यहाँ "नमाज़ों के आखिर" शब्द के बारे में मतभेद किया गया है कि क्या वह सलाम फेरने से पहले है या उसके बाद में?

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह और उनके शिष्य इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह ने इस बात को चयन किया है कि यह सलाम फेरने से पहले है। इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: "हर चीज़ की पिछला हिस्सा, जानवर के पिछले हिस्से की तरह है।" ज़ादुल-मआद (1/305).

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: "जो दुआ 'नमाज़ के आखिर' शब्द के साथ संबंधित होकर वर्णित है वह सलाम फेरने से पहले है। और जो ज़िक्र 'नमाज़ के आखिर' शब्द के साथ संबंधित होकर वर्णित है, वह नमाज़ के बाद के अज़कार हैं। क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

"फिर जब तुम नमाज़ अदा कर चुको तो उठते बैठते, और पहलू के बल अल्लाह का ज़िक्र करो।" (सूरतुन्निसा: 103)

देखें: शैख मुहम्मद अल-हमद की "किताबुद्दुआ" पृष्ठ: (54)

4- अज़ान और इक्रामत के बीच में दुआ करना:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने फरमाया: "अज़ान और इक्रामत के बीच दुआ अस्वीकार नहीं होती है।" इसे अबू दाऊद (हदीस संख्या: 521) और तिर्मिजी (हदीस संख्या: 212) ने रिवायत किया है, तथा सहीहुल जामे (हदीस संख्या: 2408) देखें।

5- अनिवार्य नमाज़ों के लिए अज़ान के समय और घमासान युद्ध के समय: जैसा कि सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "दो चीज़ें अस्वीकार नहीं होती हैं, या बहुत ही कम अस्वीकार

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

होती हैं, अज्ञान के समय और लड़ाई के समय दुआ करना जब घमासान युद्ध जारी हो।" अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया है, और यह रिवायत सही है। देखें : सहीहुल जामे (हदीस संख्या: 3079).

6- बारिश होते समय: जैसा कि सहल बिन सअद रजियल्लाहु अन्हु की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित है कि आप ने फरमाया: "दो दुआएँ अस्वीकार नहीं होती हैं : अज्ञान के समय की दुआ और बारिश के समय की दुआ।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है और अल्बानी ने इसे "सहीहुल जामे (हदीस संख्या: 3078) में सहीह करार दिया है।

7- रात के किसी भी हिस्से में दुआ करना, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: "रात के समय एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई भी मुसलमान लोक और परलोक के मामले से संबंधित कोई भलाई मांगे, तो उसे वह चीज़ दे दी जाती है, और यह घड़ी हर रात होती है।" इसे मुस्लिम (हदीस संख्या: 757) ने रिवायत किया है।

8- जुमा के दिन स्वीकृति की घड़ी:

पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जुमा के दिन का चर्चा करते हुए फरमाया: "इस दिन में एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई भी मुसलमान खड़े होकर नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह तआला से कोई चीज़ मांगता है, तो अल्लाह तआला उसे वह चीज़ प्रदान कर देता है।" और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने हाथ से इस घड़ी के बहुत कम होने का संकेत दिया। इसे बुखारी (हदीस संख्या: 935) और मुस्लिम (हदीस संख्या: 852) ने रिवायत किया है।

इसके बारे में आप प्रश्न संख्या (21748) का उत्तर भी देखें।

9- ज़मज़म का पानी पीने के समय दुआ करना:

जाबिर रजियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बयान करते हैं कि: "ज़मज़म का पानी हर उस लक्ष्य के लिए है जिसके लिए उसे पिया जाए।" इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है और अल्बानी ने इसे "सहीहुल जामे" (हदीस संख्या: 5502) में सहीह करार दिया है।

10- सज्दे की हालत में दुआ:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: (बंदा अपने रब से सबसे अधिक करीब सज्दे की हालत में होता है, इसलिए सज्दे की हालत में खूब दुआ करो।" इसे मुस्लिम (हदीस संख्या: 482) ने रिवायत किया है।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

11- मुर्गे की आवाज़ सुनने के समय:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: (जब तुम मुर्गे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उसके अनुग्रह का प्रश्न करो, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है।" इसे बुखारी (हदीस संख्या: 2304) और मुस्लिम (हदीस संख्या: 2729) ने रिवायत किया है।

12- ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक, इन्नी कुन्तो मिनज्जालेमीन' पढ़कर दुआ मांगना।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "मच्छली वाले (यानी यूनस अलैहिस्सलाम) की दुआ जब उन्होंने मच्छली के पेट में रहते हुए दुआ की, यह थी: 'ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक, इन्नी कुन्तो मिनज्जालेमीन' (तेरे अलावा कोई सच्चा पूज्य नहीं, तू पवित्र है नि:संदेह मैं ही जालिमों में से था), इन शब्दों के माध्यम से कोई भी मुसलमान किसी चीज़ के बारे में दुआ मांगे, तो अल्लाह तआला उसकी दुआ को स्वीकार करता है।" इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है और अल्बानी रहिमहुल्लाह ने इसे "सहीहुल जामे" (हदीस संख्या: 3383) में सहीह करार दिया है।

अल्लाह तआला के फरमान :

وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
[فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين] [الأنبياء: 87-88]

"और मच्छली वाला जब गुस्से की हालत में चल निकला, और यह समझा कि हम उस पर पकड़ नहीं करेंगे, फिर उसने अंधेरे में पुकारा, नि:संदेह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, तू पवित्र है, मैं ही अत्याचारियों में से हूँ। फिर हमने उसकी दुआ स्वीकार की और शोक से नजात दी, और इसी तरह हम ईमान वालों को नजात दिया करते हैं।" (सूरतुल अंबिया: 87-88).

अल्लामा कुर्तुबी रहिमहुल्लाह कहते हैं :

इस आयत में अल्लाह तआला ने यह शर्त स्वीकार किया है कि जो भी उसे पुकारेगा, वह उसकी दुआ स्वीकार करेगा, जैसे यूनस अलैहिस्सलाम की दुआ स्वीकार की, और उसे उसी तरह मुक्ति प्रदान करेगा जैसे यूनस अलैहिस्सलाम को नजात दी। और इस बात की दलील अल्लाह का यह कथन है: (وكذلك ننجي المؤمنين) "और इसी तरह हम ईमान वालों को नजात दिया करते हैं।" अल-जामिओ लि-अहकामिल कुरआन (11/334).

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

13- जब आदमी किसी आपदा से पीड़ित हो तो *إنا لله إنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبي وأخلف لي خيراً منها* (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजेऊन, अल्लाहुम्मअ-जुर्नी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिन्हा) के द्वारा दुआ करना:

चुनाँचे सहीह मुस्लिम: (हदीस संख्या: 918) में उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा से वर्णित है वह कहती हैं कि: मैं ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना: (जो भी मुसलमान किसी आपदा से पीड़ित होता है तो वह वही कहता है जिसका अल्लाह ने आदेश दिया है: *إنا لله إنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبي وأخلف لي خيراً منها* (निश्चय ही हम अल्लाह के लिए हैं, और उसी की ओर लौटेंगे, हे अल्लाह! मुझे मेरी मुसीबत में इनाम (पुण्य) प्रदान कर, और मुझे इससे अच्छा उत्तराधिकार नसीब फरमा, तो अल्लाह तआला उसे उससे अच्छा उत्तराधिकार प्रदान कर देता है।" इसे मुस्लिम (हदीस संख्या: 918) ने रिवायत किया है।

14- मृतक की आत्मा (प्राण) निकलने के बाद लोगों का दुआ करना, चुनाँचे एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अबू सलमा रजियल्लाहु अन्हु के पास आए, जबकि उनकी निगाह फटी हुई थी, तो आप ने उनकी आँखें बंद कर दीं और फरमाया: "जब प्राण निकाला जाता है, तो आँख उसका पीछा करती है।" यह सुनकर अबू सलमा रजियल्लाहु अन्हु के परिवार में से किसी ने चीख मारी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "अपने लिए अच्छे शब्द ही बोलो, क्योंकि तुम जो भी कहते हो, फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं।" इसे मुस्लिम (हदीस संख्या: 2722) ने रिवायत किया है।

15- बीमार आदमी के पास दुआ करना:

इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह (हदीस संख्या: 919) में उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "जब तुम बीमार के पास जाओ तो अच्छी बात कहो, क्योंकि स्वर्गदूत तुम्हारी इन बातों पर आमीन कहते हैं .. उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा मर गए तो मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आई और आपको खबर दी कि अबू सलमा मर गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (तुम यह कहो: *اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة* "हे अल्लाह! मेरी और उसकी माफी फरमा और मुझे इससे अच्छा बदले में प्रदान कर।" उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं ने यह शब्द कहे, तो अल्लाह तआला ने मुझे अबू सलमा से अच्छा पति प्रदान किया और वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं।

16- मज़लूम (उत्पीड़ित) की दुआ:

और हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (मज़लूम के शाप से बचो, क्योंकि अल्लाह और

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

मजलूम के शाप के बीच कोई पर्दा नहीं होता है।) इसे बुखारी (हदीस संख्या: 469) और मुस्लिम (हदीस संख्या: 19) ने रिवायत किया है।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह भी फरमान है कि: (मजलूम की शाप स्वीकार होती है, चाहे वह पापी ही क्यों न हो, उसका पाप उसी के ऊपर है।" इस हदीस को अहमद ने रिवायत किया है, देखें सहीहुल जामे (हदीस संख्या: 3382)

17- पिता का अपने बच्चों के हक में दुआ करना अर्थात् उसके लाभ के लिए दुआ करना, रोज़ेदार का अपने रोज़े की हातल में दुआ करना, और यात्री की दुआ:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने फरमाया: "तीन प्रकार की दुआयें अस्वीकार नहीं होतीं हैं : पिता का अपने बच्चे के हित के लिए दुआ करना, रोज़ेदार की दुआ और यात्री की दुआ।" इस हदीस को बैहकी ने रिवायत किया है, और यह रिवायत सहीहुल जामे (हदीस संख्या: 2032) और सिलसिला सहीहा (हदीस संख्या: 1797) में मौजूद है।

18- पिता का अपने बच्चे के विरुद्ध दुआ करना अर्थात् उसकी हानि के लिए दुआ करना (अथवा शाप करना):

सहीह हदीस में है कि: "तीन दुआएं स्वीकृत हैं : मजलूम की दुआ, यात्री की दुआ और पिता का अपने बच्चों के लिए शाप।" इसे तिर्मिजी (हदीस संख्या: 1905) ने रिवायत किया है, तथा देखें : सहीह अदबुल मुफरद (हदीस संख्या: 372)

19- नेक औलाद की अपने माता पिता के लिए दुआ करना:

जैसा की सहीह मुस्लिम की हदीस (संख्या: 1631)में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जब मनुष्य मर जाता है तो उसके कार्य का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के: जारी रहनेवाला सद्का, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे या वह ज्ञान जिससे लोग लाभान्वित हों।"

20- ज़ुहर से पहले सूरज ढलने के बाद दुआ करना:

अब्दुल्लाह बिन साइब रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सूरज ढलने के बाद ज़ुहर से पहले चार रकअत नमाज़ अदा करते थे, और आप ने फरमाया: "यह एक ऐसी घड़ी है जिसमें आसमामन के द्वार खोले जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि उस समय मेरा कोई अच्छा कार्य ऊपर चढ़े।" इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है और उसकी इसनाद सहीह है, तथा देखें – तख़ीजुल मिशकात (1/337).

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

21- रात के समय आँख खुलने पर दुआ करना और इस बारे में वर्णित दुआ को पढ़ना। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: "जो रात में बेदार हुआ, और उसने यह दुआ पढ़ी:

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"

"अल्लाह के सिवा कोई वास्तविक माबूद नहीं, वह एकता और अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, पूरा राज्य और सत्ता उसी के लिए है और उसी के लिए सब प्रशंसा है, और वह हर चीज़ पर सर्वशक्तिमाम है, सभी प्रशंसाएँ अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह पवित्र है, अल्लाह के सिवा कोई सत्य माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की तौफ़ीक के बिना किसी भलाई के करने की ताकत है न किसी बुराई से बचने का सामर्थ्य है, फिर वह कहे: हे अल्लाह! मुझे माफ कर दे, या कोई और दुआ मांगे तो उसकी दुआ स्वीकार होगी, और अगर वुजू करके नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ स्वीकार होगी।" इसे बुखारी (हदीस संख्या: 1154) ने रिवायत किया है।